

तारीख हुकम	<p>सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक) श्रीमाधोपुर (सीकर)</p> <p>हुकम या कार्यवाही मय लघुहरताक्षर जज</p>	<p>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुए</p>
10.5.23	<p>दावा</p> <p>सं.सं. - 105/22</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-6-23 को पेश हो।</p>	
07.6.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-7-23 को पेश हो।</p>	
11-7-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 7-8-23 को पेश हो।</p>	
07.8.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-8-23 को पेश हो।</p>	
11-8-23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय फरिफेन उपस्थित/ पीठा अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 11-8-23 को पेश हो।</p>	
17.08.23	<p>पत्रावली पेश हुई। वकूलाय उभय पक्षकारान उपस्थित। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा के प्राप्त हुई है। जिसको शामिल पत्रावली किया। वकील वादी ने प्रकरण बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने प्रारम्भिक डिक्री के अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने बाबत सहमति देते हुये आदेशिका पर अपने हस्ताक्षर किये। हमने वकूलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकूलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। प्रकरण में वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार कर वादपत्र डिक्री किया जाता है। प्रकरण में मेरे द्वारा निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हों।</p>	<p>P. D. S.</p> <p>क.स.स.ल.</p> <p>F. D. S.</p> <p>लि. ए. ए. ए.</p> <p>उ.स. डि.स. म. ड.</p> <p>ग. नि.स.स.</p> <p>ग. नि.स.स.</p> <p>ग. नि.स.स.</p>



Pathor
13/08/23

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर सीकर

न्यायालय सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (नीमकाथाना)
पीठारीन अधिकारी - श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या 105/2022 जीसीएमएस 2022/185 वायर दिनांक 04.08.2022 निर्णय दिनांक 17.08.2023 (अंतिम डिफ़ी)

उनवान प्रकरण

1. हरिसिंह पुत्र गोवर्धन सिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

— वादी —

बनाम

1. अनीता पुत्री रामचन्द्र उम्र 40 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
2. उषादेवी पत्नि प्रेमसागर उम्र 45 वर्ष जाति पारीक निवासी तन ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
3. केशर पत्नि मदनलाल उम्र 50 वर्ष जाति गुर्जर निवासी ग्राम जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
4. कोयली पुत्री रामचन्द्र उम्र 45 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रवाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
5. गुलाबबाई पत्नि रामचन्द्र उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
6. गीतादेवी पत्नि जयप्रकाश उम्र 48 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
7. लक्ष्मण सिंह पुत्र गोकुलसिंह उम्र 50 वर्ष
8. प्रहलाद सिंह पुत्र गोकुलसिंह उम्र 45 वर्ष



[Signature]
17/08/23 दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फारट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

समस्त जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

9. सन्तोष पुत्री गोकुल सिंह पत्नि रघुवीर सिंह उम्र 40 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम कालाकोटा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
10. सुदेश पुत्री गोकुल सिंह पत्नि पृथ्वी सिंह उम्र 38 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
11. भंवर कंवर पत्नि गोकुल सिंह उम्र 70 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
12. घनश्याम पुत्र देवाराम उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
13. जयप्रकाश पुत्र सुवालाल उम्र 50 वर्ष जाति कुमावत निवासी ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
14. टीनाकंवर पुत्री सजनसिंह उम्र 15 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम अजीतगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान जरिये प्रकृतिक संरक्षिका माता मंगेजकंवर पत्नि स्व. सजनसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
15. दुर्गादेवी पत्नि सीताराम उम्र 50 वर्ष जाति पारीक निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
16. दीपक पुत्र रामचन्द्र उम्र 35 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
17. नीता पुत्री रामचन्द्र उम्र 30 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
18. पुजाकंवर पुत्री स्व. सरोजकंवर पिता महावीर सिंह उम्र 25 वर्ष जाति राजपूत निवासी जाटावाला तहसील नीमकाथाना तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।

P. Singh
12/08/23

विशेष सिंह
सहायक फाइलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

के
ता
इस
ख

1

म
०८

19. प्रहलादसिंह पुत्र मदनसिंह उम्र 50 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
20. बलराम पुत्र झुंधाराम उम्र 35 वर्ष जाति माली निवासी मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
21. मंगेजकंवर पत्नि स्व. सजनसिंह उम्र 45 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
22. मंगली पुत्री रामचन्द्र उम्र 60 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
23. मुरलीधर पुत्र गोरधनसिंह उम्र 55 वर्ष जाति अहीर निवासी मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
24. मूलसिंह पुत्र गोरधनसिंह उम्र 55 वर्ष जाति राजपूत निवासी मानगढ़
25. श्रामादेवी पत्नि सुवालाल उम्र 50 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी झालरा तन ग्राम दिवराला तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
26. रीनाकंवर पुत्री सजनसिंह उम्र 23 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
27. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरीशंकर उम्र 55 वर्ष जाति माली निवासी मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
28. विरेन्द्रसिंह पुत्र सजन सिंह उम्र 20 वर्ष जाति राजपूत मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
29. स्लोनीकंवर पुत्री सजनसिंह उम्र 18 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
30. सांवर पुत्र रामचन्द्र उम्र 32 वर्ष जाति माली निवासी ढाणी रामचन्द्रावाली तन गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
31. हनुमानसिंह पुत्र गोरधनसिंह उम्र 57 वर्ष जाति राजपूत निवासी ग्राम मानगढ़ तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान।
32. बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजीतगढ़

सके
जाता
इस
परिषद

न

से

P. K. K.
19/08/23

सिद्ध सिंह
अजीतगढ़ (राजस्थान)
श्रीमाधोपुर (राजस्थान)

33. पटवारी, पटवार हल्का जुगराजपुरा
34. उप पंजीयक अजीतगढ़
35. उपतहसीलदार अजीतगढ़
36. भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर

—प्रतिवादीगण—

इसके
जाता
इस
तारिख

उपस्थित : -

श्री विक्रम सिंह बांकावत, एड0 वादी।

श्री जितेन्द्र कुमार गौड़ एड0 एवं श्री निखिल शर्मा एड0 प्रतिवादी संख्या 7, 19, 24,

28 व 31

सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी संख्या-36

पैसे

वादपत्र बाबत तकास्मा एवं स्थायी निषेधाज्ञा
(अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम, 1955)

—:: निर्णय ::—

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 128 रकबा रकबा 0.41 है0 अवस्थित तन ग्राम मानगढ़ पटवार हल्का जुगराजपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान है। जिसके हिस्सा 3827 / 19680 भाग का वादी रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार चला आ रहा है। उक्त वर्णित आराजी राजस्व रिकॉर्ड में शामिल चली आ रही है, परन्तु मौके पर बंटी हुयी। राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हिस्सानुसार प्रतिवादीगण के नाम निम्न तालिका में अंकितानुसार खातेदारी दर्ज चली आ रही है -

[Signature]
12/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

1. अनिता पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11 / 6560
2. उषादेवी पत्नि प्रेमसागर हिस्सा 223 / 3075
3. केशर पत्नि मदनलाल हिस्सा 251 / 12300
4. कोयली पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11 / 6560
5. गुलाबबाई पत्नि राजचन्द्र हिस्सा 11 / 6560
6. गीतादेवी पत्नि जयप्रकाश हिस्सा 77 / 2050
7. गोकुलसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा 1/3 (प्रतिवादी संख्या 7 ता 11 के मृतक पिता/पति)
8. घनश्याम पुत्र देवाराम हिस्सा 11 / 6560
9. जयप्रकाश पुत्र सुवालाल हिस्सा 131 / 4100
10. टीनाकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा 5887 / 492000
11. दुर्गादेवी पत्नि सीताराम हिस्सा 223 / 6150
12. दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 11 / 6560
13. नीता पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11 / 6560
14. पुजाकंवर पुत्री स्व. सरोजकंवर हिस्सा 841 / 24600
15. प्रह्लादसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 23 / 4100
16. बलराम पुत्र झुंधाराम हिस्सा 49 / 36900
17. मंगेजकंवर पत्नि स्व. सजनसिंह हिस्सा 5887 / 492000
18. मंगली पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11 / 6560
19. मुरलीधर पुत्र चोथमल हिस्सा 49 / 36900
20. मूलसिंह पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा 5887 / 98400
21. रामादेवी पत्नि सुवालाल हिस्सा 151 / 4100
22. रीनाकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा 5887 / 492000
23. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरीशंकर हिस्सा 49 / 36900
24. विरेन्द्रसिंह पुत्र सजनसिंह हिस्सा 5887 / 492000


इसके
जाता
इस
तारीख

सन

✓

g)

पैसे



Signature

17/08/2017 श्रीमधोपुर
सहायक कलक्टर (फारट ट्रैक)
श्रीमधोपुर (सीकर)


25
26
27

सलोनीकंवर पुत्री राजनसिंह हिस्सा 5887 / 492000


सांवर पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 11 / 6560

हनुमानसिंह पुत्र गोस्वामिसिंह हिस्सा 5887 / 98400

उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल चली आ रही है, परन्तु मौके पर अर्सा कदीम से बंटी हुई है। मौके पर वादी प्रतिवादीगण अलग-अलग काबिज काशत चले आकर उक्त भूमि को अपनी-अपनी आवश्यकतानुसार विकसित कर रखा है। मौके पर चले आ रहे बंटवारा अनुसार भूमि खसरा नम्बर 128 की पूर्वी दिशा की तरफ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार अपनी खातेदारी व कब्जे काशत की हिस्सा 3827 / 19680 भाग भूमि अर्थात् 0.0797 है० भूमि पर काबिज काशत चला आ रहा है। वादी की भूमि को संलग्न नजरी नक्शे में ए, बी, सी, डी बिन्दुओं व लाल स्याही से सीमांकित किया गया है। उक्त भूमि अर्सा कदीम वक्त बुजुर्गान से मौके पर विभाजित होकर सभी पक्षकारान अलग-अलग काबिज काशत चले आ रहे है। वादी ने अपनी भूमि के पुख्ता सीमाचिन्ह, तारबंदी, मेड़बंदी आदि कर रखी है। वादी ने अपने हक हिस्से व कब्जे काशत की भूमि में लाखों रुपये लगाकर व बड़ी मेहनत करके उक्त भूमि को समतल, उपजाऊ व विकसित कर रखा है तथा मेड़बंदी, तारबंदी आदि करके अपने हक हिस्से की भूमि की अलग-अलग हद हदुद व सीमाचिन्ह कायम कर रखे है तथा प्रतिवादीगण भी अलग-अलग काबिज काशत होकर अपनी आवश्यकतानुसार उक्त भूमि को विकसित कर रखा है। इस प्रकार उक्त वादग्रस्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल चली आ रही है, परन्तु मौके पर बंटी हुयी। वादी अपने कब्जे काशत की भूमि पर पूर्णतया काबिज काशत चले आ रहे है। वादी की कब्जे काशत की भूमि से प्रतिवादीगण का किसी किस्म का हक सरोकार नहीं है। उक्त वर्णित भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल चली आ रही है, परन्तु मौके पर वादग्रस्त भूमि का बंटवारा हो रखा है। उक्त वर्णितानुसार व संलग्न नजरी नक्शे में दर्शितानुसार वादी अपने हक अधिकार की भूमि पर बतौर खातेदार अलग काबिज काशत चला आ रहा


17/08/23
राजेंद्र सिंह
कलेक्टर (फारट ट्रेक)
बीबाघोपुर (सीकर)


है तथा शेष भूमि पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 31 का बिज काशत चले आ रहे है। वादी ने अपने कब्जे काशत की भूमि की अलग से सीवडोल, तारबंदी आदि करके अलग से सीमाचिन्ह कायम कर रखे है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 ने अपनी अपनी भूमि की अलग अलग सीमाएं कायम की हुयी है। इस प्रकार उक्त भूमि मौके पर बंटी होकर वादी अपने हक हिरसे की भूमि पर तन्हा का बिज काशत चले आ रहे है। जबकि उक्त भूमि राजस्व रिकॉर्ड में शामिल होती चली आ रही है। उक्त भूमि मौके पर बंटी हुई, परन्तु राजस्व रिकॉर्ड में शामिल होती चले आने के कारण वादी अपने कब्जे काशत की भूमि का समुचित उपयोग उपभोग नहीं कर पा रहे तथा सरकारी अनुदान सहायता, ऋण आदि प्राप्त नहीं कर पा रहे है। वादी ने कई मर्तबा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 को उक्त भूमि का तकास्मा करवाकर अपने अपने कब्जे काशत की भूमि की अलग से जमाबंदी व राजस्व रिकॉर्ड करवाने बाबत कहा तो प्रतिवादीगण हमेशा कोई न कोई बहाना बनाकर टालमटोल करते रहे है तथा दूसरी स्थिति में उक्त भूमि में सहखातेदार की संख्या अधिक होने के कारण उक्त सहखातेदार एक साथ बंटवारे हेतु उपस्थित नहीं हो पाने के कारण भी उक्त तकास्मा नहीं हो पा रहा। जिसके लिए वादी ने काफी प्रयास किये। इसी के चलते वादी ने कई मर्तबा राजस्व रिकॉर्ड, नक्शा ट्रेस में अलग अलग इन्द्राज करवाने का निवेदन किया, जिस पर प्रतिवादीगण हमेशा समयभाव बताकर टालमटोल करते रहे है, परन्तु वर्तमान में भूमि की बढ़ती कीमतों को देखकर एवं वादी द्वारा लाखों रूपये लगाकर अपनी भूमि को अत्यधिक विकसित, उन्नत कर लेने के कारण प्रतिवादीगण के मन में बदनियति आ गई तथा उक्त भूमि का मौका स्थिति के अनुसार एक दूसरे के हक में राजस्व रिकॉर्ड दुरुस्त करवाने एवं तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे है। जिसका प्रतिवादीगण को किसी किसम का हक सरोकार नहीं है। इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का विधिक विभाजन करवाने का कानूनी अधिकारी है। इसलिये उक्त वर्णित वादी के कब्जे काशत की भूमि जिसको संलग्न नजरी नक्शा में लाल स्याही एवं ए, बी, सी, डी बिन्दुओं से दर्शाया गया है, का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त मौका स्थिति के अनुसार तकास्मा



(Signature)
श्री. दिलीप सिंह
कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
सोनपटन (सीकर)

किया जाकर वादी को उसके कब्जा काश्त भूमि का अलग से इन्दाज किया जाना
न्यायहित में आवश्यक है। वर्तमान में जमीनों की कीमतों के बढ़ जाने के कारण एवं
वादी द्वारा लाखों रुपये लगाकर एवं मेहनत आदि करके अपनी भूमि को काफी
विकसित कर लिये जाने के कारण एक साथ एक जगह तकारमा हेतु उपस्थित नहीं
हो रहे हैं तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए मना करने लगे हैं एवं वादी
के कब्जा काश्त में मजाहमत पैदा करने लगे हैं तथा वादी को उसके हक हिस्से
की भूमि से बेदखल करने पर आमादा हो रहे हैं एवं बिना तकारमा करवाये अन्य
अजनबी व्यक्तियों को बेचान व अन्तरण करने पर आमादा हो रहे हैं। जिसका
प्रतिवादीगण को कानूनन कोई हक एवं अधिकार नहीं है। यदि प्रतिवादीगण अपने
उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य में सफल हो जावें तो वादी को इस कदर क्षति
होगी जिसकी पूर्ति किया जाना किसी भी सुरत में संभव नहीं होगा। इसलिये वादी
प्रतिवादीगण को उनके उक्त बैजा एवं अवैध उद्देश्य के लिये जरिये स्थाई
निषेधाज्ञा पाबंद करवाने के विधिक अधिकारी है। इसलिये प्रतिवादीगण को उनके
उक्त बैजा एवं अवैध काम के लिये जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाना
न्यायहित में आवश्यक है। अर्सा करीब सप्ताह भर पूर्व वादी ने प्रतिवादीगण को
उक्त भूमि का तकास्मा करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण ने उक्त भूमि का
तकास्मा करवाने के लिए मना कर दिया तथा वादी के उनके कब्जे काश्त की भूमि
के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा करने पर आमादा होने लगे
तथा बिना तकास्मा करवाये अन्य दीगर को अन्तरण करने की एलालियां धमकियां
देने लगे तथा उक्त भूमि का तकास्मा करवाने से मना कर दिया। जिससे वादकारण
उत्पन्न हुआ है।

इस पर वादी के वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण
नम्बर 1 ता 36 को जरिये रजिस्टर्ड डाक सम्मन नोटिस तलब किया गया। जिस
पर प्रतिवादी संख्या 7, 19, 24, 28 व 31 की ओर से अधिवक्ता श्री जितेन्द्र कुमार
गौड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 12 की ओर से
अधिवक्ता श्री विनोद कुमार सैनी व प्रतिवादी संख्या 25 की ओर से अधिवक्ता श्री

 दिलीप सिंह
रजिस्ट्रार (फास्ट ट्रेक)
श्रीधरपुर (सीकर)

कमलेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 11, 13 ता 18, 20 ता 23, 26, 27, 29, 30 के समन नोटिस की तामील जरिये रजिस्टर्ड डाक से करवाये जाने एवं प्रतिवादी संख्या 36 की तामील असाजतन होने के बावजूद भी उपस्थित नहीं आने पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 8 ता 11, 13 ता 18, 20 ता 23, 26, 27, 29, 30, 36 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 के खिलाफ वकील वादी द्वारा वादपत्र विद्धा किये जाने का प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर प्रतिवादी संख्या 32 ता 35 के विरुद्ध वादपत्र विद्धा किये जाने की स्वीकृति दी गई। प्रकरण में वकील वादी ने वादग्रस्त आराजी भूमियों का वादी एवं प्रतिवादीगण को वादपत्र में अंकित अनुतोष में वर्णित इस्तदुआ अनुसार खातेदार काशतकार घोषित किया जाकर मौके पर बाहमी बंटवारानुसार चले आ रहे कब्जे काशत अनुसार उनके मध्य बट्टा नम्बर डालकर वादी व प्रतिवादीगण का राजस्व रिकॉर्ड अलग बनाया जाकर अलग से लगान

कायम करते हुए अलग अलग सीव कायम कर नक्शे में तरमीम करवाये जाने हेतु विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने का निवेदन किया। जिस पर वकील प्रतिवादीगण द्वारा अपनी सहमति व्यक्त करते हुए उनकी ओर से उपस्थित श्री निखिल शर्मा एड० ने प्रारम्भिक डिक्री हेतु आदेशिका पर हस्ताक्षर किये। उक्त प्रकरण एकपक्षीय/बहुपक्षीय तथा आपसी सहमति होने से तनकीयात कायम नहीं की जाकर सीधे ही पक्षकारान के मौके पर हक हिस्से एवं कब्जे काशत के अनुसार विधिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार श्रीमाधोपुर से मंगवाये जाने हेतु

दिनांक 18.01.2023 प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काशतकारी (राजस्व मण्डल) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार एवं राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक राम/न्याया/ स्था/ प-51/2008/विविध/10346 दिनांक 05.10.2020 में वर्णित दिशा निर्देशानुसार प्रारम्भिक डिक्री जारी की जाकर जरिये पत्रांक 835 दिनांक 24.04.2023 के द्वारा पालना रिपोर्ट मय विधिक विभाजन प्रस्ताव मय कुर्रेजात रिपोर्ट अलग-अलग रंगों में तैयार कर तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी


18/01/23
विलीप सिंह
वकील कलक्टर (पत्रांक 835)
श्रीमाधोपुर (सोकर)

पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भूअ./23/1231 दिनांक 28.07.2023 द्वारा के द्वारा पालना रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के प्राप्त होकर न्यायालय के समक्ष दिनांक 17.08.2023 को पेश हुई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा विभाजन प्रस्ताव को शामिल पत्रावली किया गया।

वकील वादी ने प्रकरण के बंटवारा से संबंधित होने तथा प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से आज ही बहस सुनी जाकर निस्तारण किये जाने का निवेदन किया।

हमने वकूलाय उभय पक्षकारान की बहस सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकूलाय उभय पक्षकारान द्वारा की गयी बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड अंतिम चौसला जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमि के वादी व प्रतिवादीगण रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार दर्ज रिकॉर्ड है। इस आधार पर वादी काश्तकारी अधिनियम-1955 के अन्तर्गत धारा-53 बंटवारा की हकदार है। प्रस्तुत दस्तावेज साक्ष्य से यह प्रतीत होता है कि पक्षकारान अपने-अपने हक हिस्से का विभाजन अन्तर्गत धारा-53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम-1955 के प्रावधानों के अधीन कराये जाने के अधिकारी है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव कुर्रेजात रिपोर्ट से वकूलाय उभय पक्षकारान ने अपनी सहमति प्रकट की है। वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 को तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर खातेदारी राजस्व रिकार्ड में वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 31 के प्रारम्भिक डिक्री की पालना में प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में नाम दर्ज करने बाबत वादी का वाद स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।



17/08/23
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

—: क्रियात्मक आदेश :—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण से वादी का वाद बाबत तकारमा एवं स्थाई विवेधाना को स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी किया जाता है। इस प्रकार वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य हुये बंटवारा अनुसार तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्रस्तुत कुरैजात रिपोर्ट मय नजरी नक्शा अनुसार दिनांक 28.07.2023 में वर्णित विधिक विभाजन प्रस्ताव, नजरी नक्शा ट्रेस के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाता है :-

जमाबंदी के अनुसार खाते की स्थिति :-

क्र. सं.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं० नं०	रकबा (हे०)	किस्म	लगान
1.	305	1. अनिता पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11/6560 जाति माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार	128	0.41	बारानी 2	01.62
		2. उषादेवी पत्नि प्रेमसागर हिस्सा 223/3075 जाति पारीक सा. देह खातेदार				
		3. केशर पत्नि मदनलाल हिस्सा 251/12300 जाति माली गूर्जर सा. अजीतगढ़ खातेदार				
		4. कोयली पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11/6560 जाति माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार				
		5. गुलाबबाई पत्नि राजचन्द्र हिस्सा 11/6560 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार				
		6. गीतादेवी पत्नि जयप्रकाश हिस्सा 77/2050 जाति कुमावत सा. अजीतगढ़ खातेदार				
		7. गोकुलसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा 1/3 राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार				
		8. घनश्याम पुत्र देवाराम हिस्सा 11/6560 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार				



Signature
13/08/23

दिलीप सिंह
तहसीलदार (भारत ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सोकर)

इसके
जाता
इस
तारीख
सन


3

से

मया
08/25

(रक)

9. जयप्रकाश पुत्र सुबालाल हिस्सा 131/4100
जाति कुमावत सा अजीतगढ़ खातेदार
 10. टीनाकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा
5887/492000 जाति राजपूत सा. देह
खातेदार
 11. दुर्गा देवी पत्नि सीताराम हिस्सा 223/6150
जाति पारीक सा. देह खातेदार
 12. दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 11/6560 माली
सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन
गढटकनेत खातेदार
 13. नीता पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11/6560 माली
सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन
गढटकनेत खातेदार
 14. पुजाकंवर पुत्री स्व. सरोजकंवर हिस्सा
841/24600 जाति राजपूत सा. अजीतगढ़
खातेदार
 15. प्रहलादसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 23/4100
जाति राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार
 16. बलराम पुत्र झुंधाराम हिस्सा 49/36900
जाति माली सा. देह खातेदार
 17. मंगेजकंवर पत्नि स्व. सजनसिंह हिस्सा
5887/492000 जाति राजपूत सा. देह
खातेदार
 18. मंगली पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 11/6560 जाति
माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन
गढटकनेत खातेदार
 19. मुरलीधर पुत्र चोथमल हिस्सा 49/36900
जाति अहीर सा. देह खातेदार
 20. मूलसिंह पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा
5887/98400 जाति राजपूत सा. देह
अजीतगढ़ खातेदार
- राहिन हिस्सा 5887/98400 (पूर्ण खाता)
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा



Signature
12/08/23

जिलाधिकारी
राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
बड़ौदा

रके
ता
डस
दिव

न

ने

अजीतगढ़

21. रामादेवी पत्नि सुवालाल हिस्सा 151/4100
जाति माली सा. देह ढाणी झालरा दिवराला
खातेदार
22. रीनाकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा
5887/492000 जाति राजपूत सा. देह
खातेदार
23. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरीशंकर हिस्सा
49/36900 जाति माली सा. देह खातेदार
24. विरेन्द्रसिंह पुत्र सजनसिंह हिस्सा
5887/492000 जाति राजपूत सा. देह
खातेदार
25. सलोनीकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा
5887/492000 जाति राजपूत सा. देह
खातेदार
26. सांवर पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 11/6560 माली
सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन
गढ़टकनेत खातेदार
27. हनुमानसिंह पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा
5887/98400 जाति राजपूत सा. अजीतगढ़
खातेदार
राहिन हिस्सा 5887/98400 (पूर्ण खाता)
बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा
अजीतगढ़
28. हरिसिंह पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा
3827/19680 जाति राजपूत सा. अजीतगढ़
खातेदार

योग

किता

0.41

—

01.62

-1



P. J. J. J.
12/08/23

विनीत सिंह
राज्य सरकार (फारट रेंज)
श्रीमधोपुर (सिद्ध)

भौके के अनुसार बंटवारा प्रस्ताव :-

क्र.	खाता संख्या	खातेदार का नाम	खं0 नं0	रकबा (है0)	किस्म	लगान
1.	305	1. हरिसिंह पुत्र गोरखनसिंह हिरसा - पूर्ण जाति राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार योग	128 / 2	0.0797	बारानी 2	00.32
2.	305	1. अनिता पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 जाति माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढ़टकनेत खातेदार 2. उषादेवी पत्नि प्रेमसागर हिस्सा 298/3303 जाति पारीक सा. देह खातेदार 3. केशर पत्नि मदनलाल हिस्सा 84/3303 जाति माली गूर्जर सा. अजीतगढ़ खातेदार 4. कोयली पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 जाति माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढ़टकनेत खातेदार 5. गुलाबबाई पत्नि रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढ़टकनेत खातेदार 6. गीतादेवी पत्नि जयप्रकाश हिस्सा 154/3303 जाति कुमावत सा. अजीतगढ़ खातेदार 7. गोकुलसिंह पुत्र सुजानसिंह हिस्सा 1367/3303 राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार 8. घनश्याम पुत्र देवाराम हिस्सा 7/3303 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढ़टकनेत खातेदार 9. जयप्रकाश पुत्र सुवालाल हिस्सा 131/3303 जाति कुमावत सा. अजीतगढ़ खातेदार 10. टीनाकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा 49/3303 जाति राजपूत सा. देह खातेदार 11. दुर्गा देवी पत्नि सीताराम हिस्सा 149/3303	किता -1 128 / 1 128 / 3	0.0797 0.0582 0.2721	बारानी 2 बारानी 2 बारानी 2	00.32 00.23 01.07

सके
पता
इस
रीख
न



[Signature]
12/08/23
सिंह
डिस्ट्रिक्ट (फारट ट्रेक)
भानाथपुर (सीकर)

जाति पारीक सा. देह खातेदार

12. दीपक पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार
13. नीता पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार
14. पुजाकंवर पुत्री स्व. सरोजकंवर हिस्सा 140/3303 जाति राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार
15. प्रहलादसिंह पुत्र मदनसिंह हिस्सा 23/3303 जाति राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार
16. बलराम पुत्र झुंथाराम हिस्सा 5/3303 जाति माली सा. देह खातेदार
17. मंगेजकंवर पत्नि स्व. सजनसिंह हिस्सा 49/3303 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
18. मंगली पुत्री रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 जाति माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढटकनेत खातेदार
19. मुरलीधर पुत्र चोथमल हिस्सा 5/3303 जाति अहीर सा. देह खातेदार
20. मूलसिंह पुत्र गोरधनसिंह हिस्सा 245/3303 जाति राजपूत सा. देह अजीतगढ़ खातेदार राहिन हिस्सा 245/3303 (पूर्ण खाता) बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजीतगढ़
21. रामादेवी पत्नि सुवालाल हिस्सा 151/3303 जाति माली सा. देह ढाणी झालरा दिवराला खातेदार
22. रीनाकंवर पुत्री सजनसिंह हिस्सा 49/3303 जाति राजपूत सा. देह खातेदार
23. लक्ष्मीनारायण पुत्र गोरीशंकर हिस्सा 5/3303 जाति माली सा. देह खातेदार



Signature
12/08/21

सिंह
डिप्टर (फारट डिवीजन)
राधोपुर (सीकर)

24. विरेन्द्रसिंह पुत्र राजनसिंह हिस्सा 49/3303 जाति राजपूत सा. देह खातेदार				
25. सलोनीकांवर पुत्री राजनसिंह हिस्सा 49/3303 जाति राजपूत सा. देह खातेदार				
26. सांवर पुत्र रामचन्द्र हिस्सा 7/3303 माली सा. देह नि. ढाणी रामचन्द्रा वाली तन गढ़टकनेत खातेदार				
27. हनुमानसिंह पुत्र गोखनसिंह हिस्सा 245/3303 जाति राजपूत सा. अजीतगढ़ खातेदार राहिन हिस्सा 245/3303 (पूर्ण खाता) बड़ीदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा अजीतगढ़				
योग	किता	0.3303	बारानी 2	01.30
		-2		

अतः उपरोक्तानुसार राजस्व जमाबंदी में अंकन स्वीकार किया जाकर पृथक-पृथक खाते कायम किये जाकर लगान फाटनी अलग-अलग की जावें। रहन इत्यादि हो तो बदस्तूर रखा जावें। तहसीलदार (भू.अ.) श्रीमाधोपुर से जरिये पत्रांक भू.अ./23/1231 दिनांक 28.07.2023 के द्वारा प्राप्त विधिक विभाजन प्रस्ताव व इसके साथ संलग्न नजरी नक्शा मय कुर्रजात रिपोर्ट को अन्तिम डिक्री का भाग बनाया जाता है। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हों। पत्रावली फैसल के माध्यम से निर्णय होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।



(Signature)
17/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 17.08.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(Signature)
17/08/23
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)